सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
भाद्र 23, सोमवार, शाके 1942- सितम्बर 14, 2020	
Bhadra 23, Monday , Saka 1942- September 14, 2020	

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT

(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, September 14**, 2020**

No. F. 2(28)Vidhi/2/2020.- The following Act of the Rajasthan State Legislature which received the assent of the Governor on the 11th day of September, 2020 is hereby published for general information:-

THE RAJASTHAN AGRICULTURAL PRODUCE MARKETS (SECOND AMENDMENT) ACT, 2020

(Act No. 19 of 2020)

(Received the assent of the Governor on the 11th day of September, 2020)

An

Act

further to amend the Rajasthan Agricultural Produce Markets Act, 1961.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-first Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Agricultural Produce Markets (Second Amendment) Act, 2020.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 1stMay, 2020.

2. Amendment of section 17, Rajasthan Act No. 38 of 1961.- In section 17 of the Rajasthan Agricultural Produce Markets Act, 1961 (Act No. 38 of 1961), hereinafter in this Act referred to as the principal Act,-

(i) after the existing expression "agricultural produce" and before the existing expression "bought or", the expression "brought or" shall be inserted; and

(ii) for the existing expression "market area", the expression "physical boundaries of principal market yards, sub-market yards and market sub-yards managed and run by the market committees formed and, private market yards, private market sub-yards, direct marketing collection centres, and private farmer-consumer market yards managed by persons holding licences or, any warehouses, silos, cold storages or other structures notified as markets or

deemed markets, under this Act," shall be substituted.

3. Insertion of new section 17-A, Rajasthan Act No. 38 of 1961.- After the existing section 17 and before the existing section 18 of principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"17-A. Power to collect Krishak Kalyan fee.- (1) The market committee shall collect Krishak Kalyan fee from the licensees in the prescribed manner, on agricultural produce brought or bought or sold by them in the physical boundaries of principal market yards, sub-market yards and market sub-yards managed and run by the market committees formed and, private market yards, private market sub-yards, direct marketing collection centres, and private farmer-consumer market yards managed by persons holding licences or, any warehouses, silos, cold storages or other structures notified as markets or deemed markets, under this Act, at such rate as may be specified by the State Government, by notification in the Official Gazette.

(2) The fee collected shall be deposited in Krishak Kalyan Kosh constituted under section 19-A.".

4. Repeal and savings.- (1) The Rajasthan Agricultural Produce Markets (Amendment) Ordinance, 2020 (Ordinance No. 2 of 2020) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under this Act.

विनोद कुमार भारवानी,
Principal Secretary to the Government.

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 14, 2020

संख्या प.2(28)विधि/2/2020.- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में "दी राजस्थान एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट्स (सैकण्ड अमेण्डमेन्ट) एक्ट, 2020 (एक्ट नं. 19 ऑफ 2020)" का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2020

(2020 का अधिनियम संख्यांक 19)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 11 सितम्बर, 2020 को प्राप्त हुई)

राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2020 है।

(2) यह 1 मई, 2020 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. 1961 के राजस्थान अधिनियम सं. 38 की धारा 17 का संशोधन.- राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम सं. 38), जिसे इस अधिनियम में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 17 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "उनके द्वारा मण्डी क्षेत्र में" के स्थान पर अभिव्यक्ति "इस अधिनियम के अधीन, गठित की गयी मण्डी समितियों द्वारा प्रबंधित और चलाये गये प्रधान मण्डी यार्ड, उप-मण्डी यार्ड और मण्डी उप-यार्ड की भौतिक सीमाओं में, और अनुज्ञप्तिधारी व्यक्तियों द्वारा प्रबंधित निजी मण्डी यार्ड, निजी मण्डी उप-यार्ड, प्रत्यक्ष विपणन संग्रहण केन्द्रों और निजी कृषक-उपभोक्ता मण्डी यार्ड में, या मण्डियों या मानित मण्डियों के रूप में अधिसूचित किन्हीं भाण्डागारों, कोष्ठागारों, शीतागारों या अन्य संरचनाओं में, अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा लायी गयी या" प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. 1961 के राजस्थान अधिनियम सं. 38 में नयी धारा 17-क का अंत:स्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 17 के पश्चात् और विद्यमान धारा 18 से पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"**17-क. कृषक कल्याण फीस संगृहीत करने की शक्ति.**- (1) मण्डी समिति, अनुज्ञप्तिधारियों से, इस अधिनियम के अधीन, गठित की गयी मण्डी समितियों द्वारा प्रबंधित और चलाये गये प्रधान मण्डी यार्ड, उप-मण्डी यार्ड और मण्डी उप-यार्ड की भौतिक सीमाओं में, और अनुज्ञप्तिधारी व्यक्तियों द्वारा प्रबंधित निजी मण्डी यार्ड, निजी मण्डी उप-यार्ड, प्रत्यक्ष विपणन संग्रहण केन्द्रों और निजी कृषक-उपभोक्ता मण्डी यार्ड में, या मण्डियों या मानित मण्डियों के रूप में अधिसूचित किन्हीं भाण्डागारों, कोष्ठागारों, शीतागारों या अन्य संरचनाओं में, अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा लायी गयी या क्रीत या विक्रीत कृषि उपज पर ऐसी दर से, जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, विहित रीति से कृषक कल्याण फीस संगृहीत करेगी।

(2) संगृहीत की गयी फीस धारा 19-क के अधीन गठित कृषक कल्याण कोष में जमा की जायेगी।"।

4. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश सं. 2) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होने पर भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

विनोद कुमार भारवानी,
प्रमुख शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।